E-Mail

275/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःBR/ LR/ NLRMP/ प.–126 / 2017 / 472 . दिनांकः– 13-03-18

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान, राज्य ईकाई,
कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– ई–धरती कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर में खाता संख्या के नामान्तकरण की समस्याओं के बाबत्।
प्रसंग :–आपका पत्रांक 8073 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रासंगिक पत्र से ऑनलाईन नामान्तरकरण सॉफ्टवेयर में खाता न. 1 में होने वाले नामान्तरकरण में नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन के निर्धारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् इसी क्रम में कुछ नामान्तरकरणों यथा समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के संबंध में नामान्तरण पश्चात् जिम्मन का रेंखाकित चार्ट भेजने बाबत् निवेदन किया गया है, ताकि सॉफ्टवेयर में पारदर्शिता व नियमानुसार स्पष्टता लायी जा सके।

इस संबंध में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 में स्पष्ट प्रावधान है। जमाबन्दी का प्रत्येक उक्त प्रावधानानुसार जिम्मन से संबंधित है। यदि खाता न. 1 में होने वाले समर्पण (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 55–59 के अन्तर्गत) विनिमय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 48–52 के अन्तर्गत) आवंटन, लीज, जमीन आरक्षण, भूमि अवाप्ति, आदि के नामान्तरण के पश्चात् उसके जिम्मन में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है है तो वह संबंधित वर्तमान जिम्मन से निकलकर नवीन जिम्मन वाले वर्ग में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 164 के अनुसार स्थानान्तरित हो जाएगा। जिसका प्रावधान पूर्व में ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जिम्मन से संबंधित कोई अन्य समस्या होतो उदाहरण सहित प्रकरण मण्डल को प्रेषित करावें तदनुसार समस्या का निस्तारण किया जा सके।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर
दिनांक

क्रमांकः सम/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

-sd-
प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर